न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 09 सन् 2020
पंजीयन दिनांक 29.01.2020

दिलीप कुमार पिता जोधसिंह जाति खमेसरा निवासी ऊपरलापाडा चित्तौड़गढ़ हाल निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्ध

1. हरिकिशन पिता नन्दरामदास जाति बैरागी निवासी केसरपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. नारायणी पत्नि भगवतीदास जाति बैरागी निवासी केसरपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. पुजा पुत्री भगवतीदास जाति बैरागी निवासी केसरपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. सत्यनारायण पिता भगवतीदास नाबालिग बविलायत माता नारायणी पत्नि भगवतीदास जाति बैरागी निवासी केसरपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 236/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2016

उपस्थित– 1. कैलाश उपाध्याय –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. छोगालाल जाट– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 5

निर्णय **दिनांक 16.06.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण ने अपीलान्ट व मृतक कान कंवर व सुधीर कुमार के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट व कान कंवर सुधीर कुमार के नाम मौजा सामरी पटवार हल्का सामरी के साबिक आराजी नम्बर 40/1 रकबा 6 बीघा कृषि भूमि दर्ज थी। जिसके नवीन भू–प्रबन्ध के दौरान नवीन आराजी नम्बर 130 रकबा 0.30 हैक्टेयर आराजी नम्बर 131 रकबा 0.39 हैक्टेयर आराजी नम्बर 132 रकबा 0.69 हैक्टेयर आराजी नम्बर 139 रकबा 0.07 हैक्टेयर आराजी नम्बर 134 रकबा 0.88 हैक्टेयर बने। उक्त भूमि के खातेदार जोधसिंह के वारिसान प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.07.1980 से रेस्पोडेन्ट सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के पिता व पति भगवतीदास को अपना निहित 1/3 हिस्सा विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण भू–प्रबन्ध की कार्यवाही आरम्भ होने से खरीदशुदा कृषि आराजीयात का नामान्तकरण अपने नाम नही खुलवा सके जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

रेस्पोडेन्टगण वादीगण उक्त कृषि आराजीया मे से 1/3 हक व हिस्से मे खातेदारी घोषणा कराने व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे बतौर खातेदार अपना नाम अंकित कराने के अधिकारी होने से रेस्पोडेन्टगण 1 से 4 वादीगण की ओर से खातेदारी घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 4 वादीगण की ओर से प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व खातेदार कान कंवर सुधीर कुमार प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अपीलान्ट व प्रतिवादी कान कंवर सुधीर कुमार की प्रोपर तामील होने के पश्चात् प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर उक्त प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही करते हुए साक्ष्य रेस्पोडेन्टगण वादीगण ली जाकर प्रकरण मे बहस अंतिम समायत करते हुए रेस्पोडेन्टगण 1 से 4 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए वादपत्र डिक्री किया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 ने इस न्यायालय मे निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.12.2019 को पटवारी हल्का से हुई जिससे वाद जानकारी अपील अन्दर म्याद पेश है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी स. 2 की ओर से निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रतिवादिया सं. 1 कान कंवर का स्वर्गवास वादपत्र प्रस्तुति के पूर्व हो चुका था। फिर भी मृतक कान कंवर को प्रतिवादी सं. 1 कायम कर वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र चलने योग्य नही था। अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण ने किसी भी रूप मे वादपत्र को प्रमाणित नही किया था, फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण का वादपत्र डिक्री किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मृतक के विरूद्ध होकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे

आरआरटी 2017 पार्ट-2 पेज 1047, आरआरटी 2021 पार्ट-2 पेज 1026, आरआरटी 2019 पार्ट-2 पेज 875, आरआरटी 2016 पार्ट-2 पेज 1200, आरआरटी 2021 पार्ट-2 पेज 1152 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण ने अपीलान्ट व उसकी माता कान कंवर व भाई सुधीर कुमार से भू-प्रबन्ध के पूर्व दिनांक 01.07.1980 को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की मौजा सामरी तहसील चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी नम्बर 40/1 रकबा 6 बीघा मे से 1/3 हिस्सा जो विक्रेतागण का निहित था। विक्रेतागण के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड था। पंजीकृत बहनामे से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। क्रय करने के कुछ समय पश्चात् भू-प्रबन्ध की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने से नामान्तकरण स्वीकृत नही हो पाया। भू-प्रबन्ध के पश्चात् भी उक्त कृषि आराजीयात जिसके नवीन आराजी नम्बर 130 रकबा 0.30, 132 मीन रकबा 0.23 हैक्टेयर, 134 मीन रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर, 131 रकबा 0.39 हैक्टेयर आराजी नम्बर 134 रकबा 0.88 हैक्टेयर कायम किये गये। उक्त आराजीयात मे से 40/1 रकबा 6 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 130 रकबा 0.30, 131 रकबा 0.39 हैक्टेयर, 132 रकबा 0.69 हैक्टेयर आराजी नम्बर 139 रकबा 0.07 हैक्टेयर आराजी नम्बर 134 रकबा 0.88 हैक्टेयर कायम किये गये जिसमे कृषि आराजी नम्बर 40/1 रकबा 6 बीघा मे से रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने 2 बीघा कृषि भूमि क्रय की। साबिक रबके के अनुसार नवीन आराजी नम्बर 130 रकबा 0.30 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 132 मीन रकबा 0.23 हैक्टेयर मे से 0.14 हैक्टेयर कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि की घोषणात्मक डिक्री पंजीकृत बहनामे के अनुसार चाही गई। नवीन आराजी नम्बर 130 व 132 मीन के खातेदार अपीलान्ट प्रतिवादीगण व खातेदार कान कंवर सुधीर कुमार होने से उनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त खातेदार ही रेस्पोडेन्ट वादीगण के विक्रेता थे। उक्त वादपत्र प्रस्तुति के समय भी कान कंवर का विरासत का इंतकाल नही होकर कान कंवर का नाम राजस्व जमाबन्दी ने खातेदार की हैसियत से दर्ज रेकार्ड होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण की ओर से खातेदारान को प्रतिवादी कायम कर वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रतिवादीगण की प्रोपर तामील होना बताया है। मृतक कान कंवर के अलावा भी मृतक कान कंवर के पुत्र अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 व सुधीर कुमार जिनकी भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवाई गई। बावजूद तामील सभी प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा बावजूद तामील प्रतिवादीगण के अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली मे साक्ष्य ली जाकर दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये उन्ही के आधार पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय के द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण का वादपत्र पंजीकृत बहनामे के अनुसार प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया गया है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पंजीकृत बहनामा दिनांक 01.07.1980 के अनुसार पारित की गई है। पंजीकृत बहनामे को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय का नही होकर सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 1 व 3 जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उक्त विक्रेतागण के द्वारा पंजीकृत बहनामे को किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय मे निरस्त करने का वादपत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आज दिनांक तक प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण पंजीकृत बहनामे के अनुसार उक्त आराजीयात की घोषणा कराये जाने की अधिकारी होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण के पक्ष मे वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया है जो विधिनुसार होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 ने गलत तथ्यो के आधार पर अपीलान्ट की माता कान कंवर का स्वर्गवास हो चुका है। मृतक कान कंवर का स्वर्गवास होने पर भी मृतक कान कंवर के उत्तराधिकारी अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 व सुधीर कुमार ही था। इसके अलावा कान कंवर के ओर कोई वैधानिक वारिस होना अपीलान्ट ने अपनी अपील मे भी अंकित नही किया है जिससे मृतक के वारिस पूर्व से ही रेकार्ड पर थे जिससे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा नही हो सकती है जिससे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पंजीकृत बहनामे के अनुसार होने से रेस्पोडेन्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विधिनुसार होकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा प्रमाणित होने से डिक्री किया है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिनुसार होकर अपीलान्ट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण ने अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 व सहखातेदार कान कंवर सुधीर कुमार के विरूद्ध मौजा सामरी तहसील चित्तौडगढ़ मे प्रतिवादीगण के खातेदारी मे दर्ज आराजी नम्बर 40/1 रकबा 6 बीघा दर्ज रेकार्ड रही है। जिसके नवीन आराजी नम्बर 130 रकबा 0.30 हैक्टेयर आराजी नम्बर 131 रकबा 0.39 हैक्टेयर आराजी नम्बर 132 रकबा 0.69 हैक्टेयर आराजी नम्बर 139 रकबा 0.07 हैक्टेयर आराजी नम्बर 134 रकबा 0.88 हैक्टेयर बने। उक्त आराजीयात साबिक नम्बरान से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 उसकी माता कान कंवर व प्रतिवादी सं. 3 सुधीर कुमार ने मिलकर संयुक्त रूप से 1/3 हक व हिस्से का विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 के पिता व पति भगवतीदास के पक्ष मे पंजीकृत बहनामा दिनांक 01.07.1980 को पंजीकृत करवाया। विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर कब्जा सुपुर्द किया गया है। उसके पश्चात् क्रेतागण के नाम नामान्तकरण स्वीकृत नही होकर भू-प्रबन्ध की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने से नामान्तकरण नही खुला। भू-प्रबन्ध मे नवीन आराजी नम्बर कायम किये जाकर पुनः विक्रेतागण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिये जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 जो क्रेता भगवतीदास के उत्तराधिकारी है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 वादीगण भगवतीदास के उत्तराधिकारी होने के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी प्रदर्श-8 प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 भगवतीदास के वैध उत्तराधिकारी है जिनको भगवतीदास के द्वारा हरिकिशन के साथ क्रयशुदा कृषि आराजीयात अपने नाम दर्ज कराने का वैधानिक अधिकार है। उसी हैसियत से रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 4 भगवतीदास के वारिसान ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के साथ 1/2, 1/2 हक व हिस्से का वादपत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत जमाबन्दी मे कान कंवर के मृत्यु होने के

सम्बन्ध मे राजस्व रेकार्ड मे विरासत का नामान्तकरण होना नही पाया जाता है। रेस्पोडेन्टगण केसरपुरा मे निवास करते है। प्रतिवादीगण अपीलान्ट व उसका परिवार चित्तौड़गढ मे निवास करता है। दोनो पक्ष एक दुसरे को पहचानना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति मे राजस्व रेकार्ड के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण की ओर से वादपत्र अपीलान्ट कान कंवर व सुधीर कुमार के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिनकी प्रोपर तामील हुई है। यदि कान कंवर का स्वर्गवास हो गया है तो भी प्रतिवादी सं. 2 अपीलान्ट व सुधीर कुमार कान कंवर के वैधानिक वारिसान है जो पूर्व से ही प्रकरण मे पक्षकार मुकदमा कायम है। इसके अलावा मृतक कान कंवर के और कोई वैधानिक वारिसान अपीलान्ट ने भी अपील मे व अपील के विचाराधीन रहते हुए व बहस के दौरान भी नही बताये है जिससे मृतक कान कंवर के वारिसान रेकार्ड पर होते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने पंजीकृत बहनामा के अनुसार अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 वादीगण के पक्ष मे मौजा सामरी की आराजी नम्बर 130 रकबा 0.30 हैक्टेयर मे से 21 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 132 रकबा 0.23 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर कृषि भूमि का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया है। अपीलान्ट प्रतिवादो सं. 2 की ओर से प्रस्तुत अपील मे कोई वजूद नही होकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिनुसार होना प्रतीत होता है। अपीलान्ट की ओर से जो न्यायिक दृष्टान्त बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये है मृतक कान कंवर के वारिसान पूर्व से ही पक्षकार होने से उक्त प्रकरण पर चस्पा नही होते है। अपीलान्ट की ओर से आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी के तहत दस्तावेज नकल जमाबन्दी मृत्यु प्रमाण-पत्र नामान्तकरण की प्रतियां प्रस्तुत की है जो बहस के वक्त ही रेकार्ड पर ली गई है। अपील के दौरान बहस के वक्त भी मृतक कान कंवर के अपीलान्ट व सुधीर कुमार के अलावा ओर कोई वारिस होना अपील मे अंकित नही किया है। अपील प्रस्तुति के पूर्व ही प्रतिवादी सं. 3 सुधीर कुमार लाऔलाद कुंवारा फौत हो जाना अपीलान्ट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है जिससे मृतक प्रतिवादिया सं. 1 के वारिसान पूर्व से रेकार्ड पर होने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री न्यायोचित होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 की ओर से प्रस्तुत अपील न्यायोचित नही होने से स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 2 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 236/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2016 यथावत कायम रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ